D:\Sabla folder\Sabla.doc97

अति–आवश्यक
स्मरण–पत्र–III

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ.3(8)पो/सबला/ICDS/2010/33860–81 जयपुर, दिनांक 26-2-18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
अजमेर, अलवर, बारां, बाडमेर, भरतपुर,
बूंदी, दौसा, धौलपुर, डुंगरपुर, जयपुर,
जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुंझुनू, जौधपुर,
करौली, कोटा, नागौर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर,
टोंक एवं प्रतापगढ।

विषयः–किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (पूर्व नाम सबला) योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 के लिए बेस लाईन सर्वे करने बाबत्।

संदर्भः–भारत सरकार के पत्रांक दिनांक 08.12.2017

प्रसंगः–विभागीय पत्र क्रमांक 202099–436 दिनांक 28.12.2017, 13145–464 दिनांक 18.01.2018 एवं 19618–917 दिनांक 02.02.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रो द्वारा भारत सरकार से प्राप्त संदर्भित पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराते हुए आपके जिले में दिनांक 30.11.2018 तक किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (पूर्व नाम सबला) का संचालन किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। योजनान्तर्गत 11–14 वर्ष की स्कूल नही जाने वाली बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु पोषणीय एवं गैर–पोषणीय गतिविधियों से लाभान्वित किये जाने के लिए जिले में 11–14 वर्ष की स्कूल नही जाने वाली बालिकाओं का बेस लाईन सर्वे करवाकर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट दिनांक 12.01.2018 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करने हेतु लिखा गया था, किन्तु आदिनांक तक आपके द्वारा सूचना प्रेषित नही की गई है।जो की आपका राजकार्य के प्रति उदासीनता एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।

अतः निर्धारित प्रारूप में किये गये बेस लाईन सर्वे की रिपोर्ट आवश्यक रूप से अविलम्ब, विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुए ई–मेल adn.wcd@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें।

(शुचि शर्मा)
आयुक्त

Directorate of Integrated Child Development Services, 2, Jal Path, Gandhi Nagar, Jaipur- 302015
Ph. No.0141- 2700246, fax 0141-2705638, 2700281 e-mail - adn.wcd@rajasthan.gov.in
Web-Site www.wcd.rajasthan.gov.in